

**RIPANS**website: www.ripans.ac.in

रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़ REGIONAL INSTITUTE OF PARAMEDICAL AND NURSING SCIENCES

(स्वायत्त संस्थान, अधीनस्थ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
(An autonomous Institute under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)

जेमाबोक, आइज़ोल, मिज़ोरम - 796017
Zemabawk, Aizawl, Mizoram - 796017

Phone: 0389-2350521
e-mail: admin@ripans.ac.in

OFFICE MEMORANDUM

Dated Aizawl, the October, 2026.

No. A.12032/1/2026-Estt/RIPANS/196 : This is for information to all concerned that Recruitment Rules of the following Group B and C posts at Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram has been notified in the Gazette of India on 06.10.2026 and uploaded in the Institute website.

Sl.No	Name of Post	Pay Level
1.	Medical Record Officer	Level -06
2.	Medical Social Worker/Social Worker/Clinical Social Worker	Level -06
3.	Clinical Psychologist	Level -07
4.	Medical Lab Technologist	Level -06
5.	ECG Technologist	Level -06
6.	Dental Technician	Level -04
7.	Optometrist	Level -06
8.	Radiology & Imaging Technologist	Level -06
9.	Audiologist	Level -06
10.	Blood Bank Technician	Level -06
11.	TSSU Assistant	Level -04

Digitally signed by
SANJAY DINKAR SAWANT
Date: 14-10-2026
11:41:59

(डॉ. संजय डी. सावंत/Dr. SANJAY D. SAWANT)

निर्देशक/Director

रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल/Regional Institute of Paramedical
& नर्सिंग साइंसेज़ /Nursing Sciences
आइज़ोल : मिज़ोरम/Aizawl:Mizoram

Memo No. A. 12032/1/2026-Estt/RIPANS/196 -A

Dated Aizawl, the October, 2026.

Copy to:-

- Under Secretary (Hospital -III), Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India, Kartavya Bhawan-1, New Delhi, for information.
- DDA/ Principal (N)/All HoDs/Medical Superintendent/Dy.Med.Suptd. RIPANS for information.
- Administrative Officer/Accounts Officer/ Officer i/c T&P/Officer i/c Academic, RIPANS for information.
- AAO(Admin)/Lib & Information Assistant, RIPANS for information.
- PA to Director, RIPANS, for information.
- Warden, Girls'/Boys' Hostel, RIPANS for information.
- System Analyst, RIPANS for information with a request to upload in the institute website.
- Office Guard File.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.जेड.-अ.-12102026-277062
CG-MZ-E-12102026-277062

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]
No. 602]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज

अधिसूचना

आइजोल, 31 जुलाई, 2026

सं. A.12032/1/2026-Estt/RIPANS/172.—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या No. U-12026/08/2025-H-III दिनांक 23.07.2026 द्वारा अनुमोदित होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, क्षेत्रीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान (RIPANS), आइजोल में निम्नलिखित समूह 'ख' (Group B) एवं समूह 'ग' (Group C) पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

क्रम संख्या	पद का नाम
1.	चिकित्सा अभिलेख अधिकारी
2.	चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता / सामाजिक कार्यकर्ता / नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ता
3.	नैदानिक मनोवैज्ञानिक
4.	चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्
5.	ईसीजी प्रौद्योगिकीवि
6.	दंत तकनीशियन

7.	ऑप्टोमेट्रिस्ट
8.	रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग प्रौद्योगिकीविद्
9.	ऑडियोलॉजिस्ट
10.	रक्त बैंक तकनीशियन
11.	टीएसएसयू सहायक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: -

1.1. इन नियमों को क्षेत्रीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान (RIPANS), आइजोल, मिजोरम, समूह 'ख' एवं 'ग' पद भर्ती नियम, 2026 कहा जाएगा।

1.2. ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर: -

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि:

उक्त पदों के लिए भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ तथा उनसे संबंधित अन्य विषय उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. निरर्हता: -

निम्नलिखित कोई भी व्यक्ति:

- जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह संबंध स्थापित किया हो जिसकी पत्नी या पति जीवित हो; अथवा
- जिसका पति या पत्नी जीवित हो और उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह संबंध स्थापित किया हो, उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु, यदि आरआईपीएनएस इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह संबंधित व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत विधि के अधीन अनुमेय है तथा ऐसा करने के अन्य पर्याप्त आधार भी विद्यमान हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगा।

5. व्याख्या: -

यदि इन नियमों के किसी उपबंध की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो वह विषय नियुक्ति प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

6. शिथिलीकरण की शक्ति: -

जहाँ आरआईपीएनएस की विधिवत् गठित चयन समिति की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहाँ वह लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए, अनुसूची में उल्लिखित किसी वर्ग या श्रेणी के पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगी। परंतु, ऐसा शिथिलीकरण नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा।

7. संरक्षण: -

इन नियमों में निहित कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी, जो इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रदान की जानी अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	प्रत्यक्ष भर्ती हेतु आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
चिकित्सा अभिलेख अधिकारी	01* (2025) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनशील	समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-6	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलीकरण योग्य।

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ।	क्या प्रत्यक्ष भर्ती हेतु विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।	यदि कोई हो, तो परिबीक्षा की अवधि।	भर्ती की पद्धति, अर्थात् क्या भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा की जाएगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।
7	8	9	10
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अधिमानतः विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल रिकॉर्ड प्रौद्योगिकी (Medical Record Technology) में एक वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। 3. किसी अस्पताल में चिकित्सा अभिलेखों (Medical Records) के संगठन एवं रख-रखाव का कम-से-कम दो वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं।	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए दो वर्ष।	लागू नहीं।

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना क्या होगी?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती किए जाने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
लागू नहीं।	1. निदेशक, रिपांस— अध्यक्ष 2. लाभार्थी राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक के पद से निम्नतर न हों (क्रमवार/रोटेशन के आधार पर) — सदस्य 3. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अस्पताल) के प्रतिनिधि, जो अवर सचिव के पद से निम्नतर न हों — सदस्य 4. संबंधित विषय का एक सहयोजित विशेषज्ञ — सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य — सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, रिपांस — सदस्य-सचिव * सहयोजित विशेषज्ञ तथा सहयोजित सदस्य का नामांकन निदेशक, रिपांस द्वारा किया जाएगा।	लागू नहीं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे/पे स्केल	क्या यह चयन वाला पद है या बिना चयन वाला पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता/नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ता	1* (2025) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तन के अधीन।	समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी।

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ।	क्या प्रत्यक्ष भर्ती हेतु विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।	यदि कोई हो, तो परिवीक्षा की अवधि।	भर्ती की पद्धति, अर्थात् क्या भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा की जाएगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।
7	8	9	10
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामाजिक कार्य में एम.ए. अथवा एम.एस.डब्ल्यू. की उपाधि, जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। 2. स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में किसी सरकारी संगठन अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित कल्याणकारी या स्वास्थ्य एजेंसी, जो चिकित्सा/लोक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्य करती हो, में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। 3. राज्य/राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग में पंजीकृत होना आवश्यक है। वांछनीय : कंप्यूटर दक्षता	लागू नहीं	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना क्या होगी?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती किए जाने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
लागू नहीं।	1. निदेशक, रिपंस - अध्यक्ष 2. लाभार्थी राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक के पद से निम्नतर न हों (क्रमवार/रोटेशन के आधार पर) - सदस्य 3. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अस्पताल) के प्रतिनिधि, जो अवर सचिव के पद से निम्नतर न हों - सदस्य 4. संबंधित विषय का एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य*	लागू नहीं।

	6. प्रशासनिक अधिकारी, रिपंस- सदस्य-सचिव * सहयोजित विशेषज्ञ तथा सहयोजित सदस्य का नामांकन निदेशक, रिपंस द्वारा किया जाएगा।	
--	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे/पे स्केल	क्या यह चयन वाला पद है या बिना चयन वाला पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
नैदानिक मनोवैज्ञानिक	01*(2025) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तन के अधीन	समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी।

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ।	क्या प्रत्यक्ष भर्ती हेतु विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।	यदि कोई हो, तो परिवीक्षा की अवधि।	भर्ती की पद्धति, अर्थात् क्या भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा की जाएगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।
7	8	9	10
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.फिल. (नैदानिक मनोविज्ञान) अथवा उसके समकक्ष उपाधि; अथवा प्रायोगिक मनोविज्ञान को विषयों में से एक के रूप में सम्मिलित करते हुए मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से चिकित्सा (नैदानिक) मनोविज्ञान में डिप्लोमा; या	लागू नहीं	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए दो वर्ष	100 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्लिनिकल मनोविज्ञान में पीएच.डी. की उपाधि। 2. भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मनोविज्ञान विषय के अध्यापन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।			
--	--	--	--

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना क्या होगी?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती किए जाने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
लागू नहीं	1. निदेशक, रिपंस - अध्यक्ष 2. लाभार्थी राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक के पद से निम्नतर न हों (क्रमवार/रोटेशन के आधार पर) - सदस्य 3. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अस्पताल) के प्रतिनिधि, जो अवर सचिव के पद से निम्नतर न हों - सदस्य 4. संबंधित विषय का एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, रिपंस- सदस्य-सचिव * सहयोजित विशेषज्ञ तथा सहयोजित सदस्य का नामांकन निदेशक, रिपंस द्वारा किया जाएगा।	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे/पे स्केल	क्या यह चयन वाला पद है या बिना चयन वाला पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट	04*(2025) * कार्यभार के	समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-6	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों

	अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन संभव है।				अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 5 वर्ष तक की आयु-सीमा में छूट प्रदान की जा सकती है।
--	--	--	--	--	--

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ।	क्या प्रत्यक्ष भर्ती हेतु विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।	यदि कोई हो, तो परिवीक्षा की अवधि।	भर्ती की पद्धति, अर्थात् क्या भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा की जाएगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।
7	8	9	10
अनिवार्य योग्यताएँ: 1. किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी अथवा मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में स्नातक उपाधि। 2. किसी अस्पताल में दो वर्ष का संबंधित कार्यानुभव। 3. राज्य/राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (NCAHP) में पंजीकृत होना अनिवार्य।	लागू नहीं	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष	प्रत्यक्ष भर्ती

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना क्या होगी?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती किए जाने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
लागू नहीं	1. निदेशक, रिपंस - अध्यक्ष 2. लाभार्थी राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक के पद से निम्नतर न हों (क्रमवार/रोटेशन के आधार पर) - सदस्य 3. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अस्पताल) के प्रतिनिधि, जो अवर सचिव के पद से निम्नतर न हों - सदस्य 4. संबंधित विषय का एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य*	लागू नहीं

	5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, रिपंस- सदस्य-सचिव * सहयोजित विशेषज्ञ तथा सहयोजित सदस्य का नामांकन निदेशक, रिपंस द्वारा किया जाएगा।	
--	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे/पे स्केल	क्या यह चयन वाला पद है या बिना चयन वाला पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
ईसीजी टेक्नोलॉजिस्ट	01* (2025) * कार्यभार के अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन संभव है।	समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-6	लागू नहीं।	35 वर्ष से अधिक नहीं। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 5 वर्ष तक आयु-सीमा में छूट प्रदान की जा सकती है।

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ।	क्या प्रत्यक्ष भर्ती हेतु विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।	यदि कोई हो, तो परीक्षा की अवधि।	भर्ती की पद्धति, अर्थात् क्या भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा की जाएगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।
7	8	9	10
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ईसीजी टेक्नोलॉजी में बी.एससी. की उपाधि। 2. किसी अस्पताल में दो वर्ष का संबंधित कार्यानुभव। 3. राज्य/राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (NCAHP) में पंजीकृत होना अनिवार्य।	लागू नहीं।	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए परीक्षा अवधि: 2 वर्ष।	प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा।

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना क्या होगी?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती किए जाने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
लागू नहीं	- निदेशक, रिपंस - अध्यक्ष - लाभार्थी राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक के पद से निम्नतर न हों (क्रमवार/रोटेशन के आधार पर) - सदस्य - भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अस्पताल) के प्रतिनिधि, जो अवर सचिव के पद से निम्नतर न हों - सदस्य - संबंधित विषय का एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य* - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य* - प्रशासनिक अधिकारी, रिपंस- सदस्य-सचिव * सहयोजित विशेषज्ञ तथा सहयोजित सदस्य का नामांकन निदेशक, रिपंस द्वारा किया जाएगा।	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे/पे स्केल	क्या यह चयन वाला पद है या बिना चयन वाला पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
डेंटल टेक्नीशियन	01* (2025) * कार्यभार के अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन संभव है।	समूह 'ग'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-4	लागू नहीं।	8 से 30 वर्ष के बीच। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ।	क्या प्रत्यक्ष भर्ती हेतु विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।	यदि कोई हो, तो परिवीक्षा की अवधि।	भर्ती की पद्धति, अर्थात् क्या भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा की जाएगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।
7	8	9	10
अनिवार्य योग्यताएँ: 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ 10+2 उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त दंत संस्थान से दो वर्षीय डेंटल मैकेनिक अथवा डेंटल टेक्नीक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। यह पाठ्यक्रम भारतीय दंत परिषद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। 3. राज्य दंत परिषद अथवा भारतीय दंत परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य।	लागू नहीं।	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि: 2 वर्ष।	प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा।

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना क्या होगी?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती किए जाने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
लागू नहीं	1. निदेशक, रिपंस - अध्यक्ष 2. लाभार्थी राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक के पद से निम्नतर न हों (क्रमवार/रोटेशन के आधार पर) - सदस्य 3. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अस्पताल) के प्रतिनिधि, जो अवर सचिव के पद से निम्नतर न हों - सदस्य 4. संबंधित विषय का एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, रिपंस- सदस्य-सचिव * सहयोजित विशेषज्ञ तथा सहयोजित सदस्य का नामांकन निदेशक, रिपंस द्वारा किया जाएगा।	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे/पे स्केल	क्या यह चयन वाला पद है या बिना चयन वाला पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
ऑप्टोमेट्रिस्ट	1*(2025) * कार्यभार के अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन संभव है।	समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-6	लागू नहीं।	35 वर्ष से अधिक नहीं। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 5 वर्ष तक आयु-सीमा में छूट प्रदान की जा सकती है।

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ।	क्या प्रत्यक्ष भर्ती हेतु विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।	यदि कोई हो, तो परीक्षा की अवधि।	भर्ती की पद्धति, अर्थात् क्या भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा की जाएगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।
7	8	9	10
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ऑप्टोमेट्री अथवा ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीक में स्नातक उपाधि। 2. ऑप्टोमेट्री के क्षेत्र में दो (02) वर्ष का कार्यानुभव। 3. राज्य/राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (NCAHP) में पंजीकृत होना अनिवार्य।	लागू नहीं।	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए परीक्षा अवधि: 2 वर्ष।	प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा।

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना क्या होगी?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती किए जाने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
लागू नहीं	- निदेशक, रिपंस - अध्यक्ष - लाभार्थी राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक के पद से निम्नतर न हों (क्रमवार/रोटेशन के आधार पर) - सदस्य - भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अस्पताल) के प्रतिनिधि, जो अवर सचिव के पद से निम्नतर न हों - सदस्य - संबंधित विषय का एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य* - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य* - प्रशासनिक अधिकारी, रिपंस- सदस्य-सचिव * सहयोजित विशेषज्ञ तथा सहयोजित सदस्य का नामांकन निदेशक, रिपंस द्वारा किया जाएगा।	लागू नहीं

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे/पे स्केल	क्या यह चयन वाला पद है या बिना चयन वाला पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट	1*(2025) * कार्यभार के अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन संभव है।	समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-6	लागू नहीं।	35 वर्ष से अधिक नहीं। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 5 वर्ष तक आयु-सीमा में छूट प्रदान की जा सकती है।

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ।	क्या प्रत्यक्ष भर्ती हेतु विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।	यदि कोई हो, तो परिवीक्षा की अवधि।	भर्ती की पद्धति, अर्थात् क्या भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा की जाएगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।
7	8	9	10
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रेडियोग्राफी में बी.एससी. (ऑनर्स) (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) की उपाधि। 2. किसी अस्पताल में रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दो (02) वर्ष का कार्यानुभव। 3. राज्य/राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग - (NCAHP) में पंजीकृत होना अनिवार्य।	लागू नहीं।	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि: 2 वर्ष।	प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा।

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना क्या होगी?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती किए जाने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
लागू नहीं	1. निदेशक, रिपंस - अध्यक्ष 2. लाभार्थी राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक के पद से निम्नतर न हों (क्रमवार/रोटेशन के आधार पर) - सदस्य 3. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अस्पताल) के प्रतिनिधि, जो अवर सचिव के पद से निम्नतर न हों - सदस्य 4. संबंधित विषय का एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व	

	करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, रिपंस- सदस्य-सचिव * सहयोजित विशेषज्ञ तथा सहयोजित सदस्य का नामांकन निदेशक, रिपंस द्वारा किया जाएगा।	
--	---	--

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे/पे स्केल	क्या यह चयन वाला पद है या बिना चयन वाला पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
ऑडियोलॉजिस्ट	1*(2025) * कार्यभार के अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन संभव है।	समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-6	लागू नहीं।	35 वर्ष से अधिक नहीं। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 5 वर्ष तक आयु-सीमा में छूट प्रदान की जा सकती है।

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ।	क्या प्रत्यक्ष भर्ती हेतु विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।	यदि कोई हो, तो परिवीक्षा की अवधि।	भर्ती की पद्धति, अर्थात् क्या भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा की जाएगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।
7	8	9	10
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ऑडियोलॉजी में स्नातक उपाधि, जिसमें एक वर्ष की इंटरनशिप सम्मिलित हो; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्पीच एंड लैंग्वेज साइंसेज़ में विज्ञान स्नातक की उपाधि; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ऑडियोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में स्नातक उपाधि। 2. किसी अस्पताल/संस्थान में दो वर्ष का कार्यानुभव। 3. भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) में पंजीकृत होना अनिवार्य।	लागू नहीं।	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि: 2 वर्ष।	प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा।

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना क्या होगी?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती किए जाने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
लागू नहीं	- निदेशक, रिपंस - अध्यक्ष - लाभार्थी राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक के पद से निम्नतर न हों (क्रमवार/रोटेशन के आधार पर) - सदस्य - भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अस्पताल) के प्रतिनिधि, जो अवर सचिव के पद से निम्नतर न हों - सदस्य - संबंधित विषय का एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य* - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य* - प्रशासनिक अधिकारी, रिपंस- सदस्य-सचिव * सहयोजित विशेषज्ञ तथा सहयोजित सदस्य का नामांकन निदेशक, रिपंस द्वारा किया जाएगा।	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे/पे स्केल	क्या यह चयन वाला पद है या बिना चयन वाला पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
ब्लड बैंक टेक्नीशियन	1*(2025) * कार्यभार के अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन संभव है।	समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-6	लागू नहीं।	35 वर्ष से अधिक नहीं। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 5 वर्ष तक आयु-सीमा में छूट प्रदान की जा सकती है।

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ।	क्या प्रत्यक्ष भर्ती हेतु विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।	यदि कोई हो, तो परिवीक्षा की अवधि।	भर्ती की पद्धति, अर्थात् क्या भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा की जाएगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।
7	8	9	10
1. किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी अथवा मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में स्नातक उपाधि। 2. किसी अस्पताल में दो वर्ष का संबंधित कार्यानुभव। 3. राज्य/राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग - (NCAHP) में पंजीकृत होना अनिवार्य।	लागू नहीं।	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि: 2 वर्ष।	प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा।

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना क्या होगी?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती किए जाने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
लागू नहीं	1. निदेशक, रिपंस - अध्यक्ष 2. लाभार्थी राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक के पद से निम्नतर न हों (क्रमवार/रोटेशन के आधार पर) - सदस्य 3. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अस्पताल) के प्रतिनिधि, जो अवर सचिव के पद से निम्नतर न हों - सदस्य 4. संबंधित विषय का एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, रिपंस- सदस्य-सचिव * सहयोजित विशेषज्ञ तथा सहयोजित सदस्य का नामांकन निदेशक, रिपंस द्वारा किया जाएगा।	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे/पे स्केल	क्या यह चयन वाला पद है या बिना चयन वाला पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
टीएसएसयू सहायक	1*(2025) * कार्यभार के अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन संभव है।	समूह 'ग'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-4	लागू नहीं।	18 से 30 वर्ष के बीच। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ।	क्या प्रत्यक्ष भर्ती हेतु विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।	यदि कोई हो, तो परिवीक्षा अवधि।	भर्ती की पद्धति, अर्थात् क्या भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा की जाएगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।
7	8	9	10
अनिवार्य योग्यताएँ: 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ 10+2 उत्तीर्ण। 2. हॉस्पिटल स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। 3. किसी अस्पताल के स्टेरिलाइजेशन यूनिट में एक वर्ष का कार्यानुभव।	लागू नहीं।	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि: 2 वर्ष।	प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा।

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजन (अवशोषण) किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना क्या होगी?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती किए जाने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
लागू नहीं	1. निदेशक, रिपंस - अध्यक्ष 2. लाभार्थी राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक के पद से निम्नतर न हों (क्रमवार/रोटेशन के आधार पर) - सदस्य	लागू नहीं

	3. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अस्पताल) के प्रतिनिधि, जो अवर सचिव के पद से निम्नतर न हों - सदस्य 4. संबंधित विषय का एक सहयोजित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, रिपंस- सदस्य-सचिव * सहयोजित विशेषज्ञ तथा सहयोजित सदस्य का नामांकन निदेशक, रिपंस द्वारा किया जाएगा।	
--	--	--

डॉ. संजय डी. सावंत, निर्देशक

[विज्ञापन-III/4/असा./371/2026-27]

REGIONAL INSTITUTE OF PARAMEDICAL AND NURSING SCIENCES**NOTIFICATION**

Aizawl, the 31st July, 2026

No. A.12032/1/2026-Estt/RIPANS/172.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and as approved by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India vide Letter No. U-12026/08/2025-H-III dated 23.07.2026, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment in Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, an Autonomous Institute under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, to the following Group B and C posts namely :-

Sl.No	Name of Post
1.	Medical Record Officer
2.	Medical Social Worker/Social Worker/Clinical Social Worker
3.	Clinical Psychologist
4.	Medical Lab Technologist
5.	ECG Technologist
6.	Dental Technician
7.	Optometrist
8.	Radiology & Imaging Technologist
9.	Audiologist
10.	Blood Bank Technician
11.	TSSU Assistant

1. Short Title and commencement: -

- 1.1. These rules may be called the Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram, Group B and C posts Recruitment Rules, 2026.
- 1.2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The number of posts, classification and level in the Pay Matrix: -

The number of the said posts, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, other qualifications, etc:

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification: -

No person:

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that RIPANS may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Interpretation: -

Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to Appointing Authority whose decision shall be final.

6. Power to relax: -

Where the duly constituted Selection Committee of RIPANS is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of posts mentioned in Schedule. This will be subject to acceptance of the Appointing Authority.

7. Saving: -

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Medical Record Officer	01*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
1. Bachelor Degree preferably in Science from a recognized	Not applicable	2 years for Direct Recruit	By direct recruitment

University/Institution.			
2. Should have undergone one year Diploma or Certificate Course in Medical Record Technology from a recognized Institute.			
3. 2 Years experience in organizing and maintenance of medical record in a Hospital.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Medical Social Worker/Social Worker/Clinical Social Worker	1*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 in the Pay Matrix	Not applicable.	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
1. MA (Social Work)/ MSW, with at least 55% marks, from a recognized University/Institution. 2. One-year practical experience as Social Worker with a Government Organization in a health-related field or reputed Welfare or Health Agencies recognized by Government dealing with Medical/Public Health Service. 3. Registered with State/National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP). Desirable: Computer Proficiency	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Clinical Psychologist	01*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 7 in the Pay Matrix	Not applicable.	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
1. M.Phil (Clinical Psychologist) or its equivalent from a recognized University. OR Master's degree in Psychology with Experimental Psychology as one of the subjects with Diploma in Medical (Clinical) Psychology of recognized Institution/University. OR Ph.D degree in Clinical Psychology of any recognized University. 2. Registered with Rehabilitation Council of India. Desirable: Experience of Teaching Psychology in a recognized teaching Institution for three years.	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Medical Lab Technologist	04*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 in the Pay Matrix	Not applicable.	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: 1. Bachelor's Degree in Medical Laboratory Technology or Medical Laboratory Science from a Govt. recognized University/Institution. 2. Two years' relevant experience in a Hospital. 3. Registered with State/National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP).	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12		13
Not applicable.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)		Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
ECG Technologist	1*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
1. B.Sc. ECG Technology from a recognized University/Institution. 2. Two years' of relevant experience in a Hospital. 3. Registered with State/National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP).	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Dental Technician	1*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Level 4 in the Pay Matrix	Not applicable.	Between 18 and 30 years. The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
1. 10+2 with science from recognized Board. 2. Dental Mechanic or Dental Technique Course of 2 years duration from a recognized Dental Institution. The Course should be approved by Dental Council of India. 3. Registered with State Dental Council/Dental Council of India.	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Optometrist	1*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 in the Pay Matrix	Not applicable.	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
1. Bachelor's Degree in Optometry or Ophthalmic Technique from a recognized University/Institution. 2. 2 (two) years' experience in the field of Optometry. 3. Registered with State/National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP).	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS -Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Radiology & Imaging Technologist	1*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 in the Pay Matrix	Not applicable.	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
1. Bachelor's Degree in Radio Imaging Technology from a recognized University/Institution. OR B.Sc (Hons) (3 years course) in Radiography from a recognized University/Institution. 2. 2 (two) years' experience in the field of Radiology and Imaging Technology in a Hospital. 3. Registered with State/National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP).	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Audiologist	1*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 in the Pay Matrix	Not applicable.	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
1. Bachelor of Audiology including one year internship from a recognized University/Institution; or Bachelor of Science Speech and Language Sciences from a recognized University or Institution; or Bachelor in Audiology, Speech and Language Pathology from a recognized University or Institution. 2. Two Years' Experience in a Hospital/ Institute. 3. Should be registered with Rehabilitation Council of India	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Blood Bank Technician	1*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 in the Pay Matrix	Not applicable.	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
1. Bachelor's Degree in Medical Laboratory Technology or Medical Laboratory Science from a Govt. recognized University/Institution. 2. Two years' relevant experience in a Hospital. 3. Registered with State/National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP).	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
TSSU Assistant	1*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Level 4 in the Pay Matrix	Not applicable.	Between 18 and 30 years. The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: 1. 10+ 2 with science pass from a recognized Board. 2. Diploma in Hospital Sterilization Technology. 3. One year experience in sterilization unit in a Hospital	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS Secy. - Member (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

Dr. SANJAY D. SAWANT, Director

[ADVT.-III/4/Exty./371/2026-27]